

रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

- 1 सोसायटी का नाम -होगा।
- 2 सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक मोहल्ला तहसील जिला.....में स्थित होगा। मोबाईल क्रमांक एवं ई-मेल आई डी
- 3 सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
 - (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)
 - (5)
- 4 मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम की सम्यक् रूप से प्रमाणित एक प्रति संगम ज्ञापन के साथ फाईल की गई है।
हम, विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम, पते, व्यवसाय एवं अन्य विवरण नीचे उल्लिखित हैं, पूर्वोक्त संगम ज्ञापन के अनुसरण में एक सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और साक्षी की उपस्थिति में हमने ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, संचालक परिषद, समिति या शासी निकाय को सोसायटी के सदस्यों के बीच न्यस्त किया गया है जो नीचे विनिर्दिष्ट है-

अनुक्रमांक	पिता/ पति के नाम के साथ हस्ताक्षर करने वालों के नाम	पूरा पता	जन्मतिथि/ आयु	मोबा. नम्बर	उपजीविका	तदर्थ शासी निकाय में पद धारित करने की दशा में पदनाम	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

साक्षी

दिनांक

हस्ताक्षर
नाम-
पिता/ पति का नाम
पूरा पता-
आधार संख्या
मोबाईल नम्बर
ई मेल आई डी ।"।